



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक, 1942 (श०)

संख्या- 555 राँची, शुक्रवार,

6 नवम्बर, 2020 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

19 अक्टूबर, 2020

संख्या-एल0जी0-02/2012)-371/लेज0,-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक-14/10/2020 को अनुमति दे चुँकि है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020
(झारखण्ड अधिनियम, 05, 2020)

विषय-सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2007) की धारा-5(1)(ख) का प्रतिस्थापन।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020

वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यांतर) एवं 2020-21 हेतु राज्यों के लिए राजकोषीय संचय की भारत सरकार की नीति के अनुसरण में झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (वर्ष 2007 का अधिनियम 07) में संशोधन हेतु एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के एकहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2007) की धारा 5(1)(ख) का प्रतिस्थापन करना।

- (i) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 5(1)(ख) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2 (दो) प्रतिशत तक निम्न शर्तों के साथ सीमित रखना :-

- क. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू करना
- ख. कारोबार सुगमता में सुधार
- ग. नगर निकाय सुविधा में सुधार
- घ. विद्युत प्रक्षेत्र में सुधार

सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत योग के लिए प्रत्येक सुधार पर 0.25 प्रतिशत भारित है। शेष बचे 1 प्रतिशत की दो किस्में होंगी। प्रथम 0.50 प्रतिशत तत्काल बिना शर्त के होंगे, दूसरा 0.50 प्रतिशत उपरोक्त में से कम से कम तीन सुधार के लिए होंगे।

- (ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्र सरकार से अनुमत 1848.00 करोड़ रुपये खुले बाजार से अतिरिक्त विशेष आहरण उस वर्ष के निर्धारित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद की सीमा से परे था।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग-----
अधिसूचना

19 अक्टूबर, 2020

संख्या-एल0जी0-02/2012-372/लेज0,-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीया राज्यपाल द्वारा दिनांक-14/10/2020 को अनुमत झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

**THE JHARKHAND FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT
(AMENDMENT) ACT, 2020**

(Jharkhand Act, 05, 2020)

AN ACT

To amend the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007 (Act 07,2007) in pursuance of the Government of India's policy on State's Fiscal Consolidation for the financial years of 2019-20 (post facto) and 2020-21 .

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Seventy First year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement :-
 - (1) This Act would be called the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2020.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
 - (3) It shall come into force from the date of the notification in official Gazette.
2. Amendment in Section 5(1)(b) of the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007.
 - (1) Section 5(1)(b) of the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007 shall be substituted as follows :-

Reduce fiscal deficit to an additional 2 (Two) percent of the estimated Gross State Domestic Product under the following conditions in Financial Year 2020-21 :-

- a. Implementation of One Nation One Ration Card System;
- b. Ease of Doing Business reform;
- c. Urban Local Body / Utility reforms, and
- d. Power Sector reforms .

Weightage of each reform is 0.25 percent of GSDP, totaling to 1 percent. The remaining borrowing limit of 1 percent consists of two equal tranches of 0.50 percent each. First tranche of 0.50 percent can be availed of untied. While second one can be availed based on the fulfillment of the reforms stipulated in at least three of the four sectors enumerated above.

(2) In Financial year 2019-20 additional OMB special drawal of Rs. 1848.00 crore was beyond the stipulated target for the financial year 2019-20.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।
